माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान और एन. के. सोधी, के समक्ष

चंदगी राम-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सी. डब्ल्यू. पी. 19 94 का सं. 18548

7 मई, 1996

भारत का संविधान 1950—अनुच्छेद 21-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 300-सेना अधिनियम, 1950-धारा 125-सेना नियम, 1954-आर. आई. 197-ए-बिना किसी कारण के 24 दिनों के लिए अवैध हिरासत-याचिकाकर्ता को समरी कोर्ट मार्शल द्वारा सैन्य वाहन को लापरवाही से चलाने के लिए विचारण किया और 1977-78 में दंडित किया-याचिकाकर्ता को सितंबर, 1994 में फिर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसे एफ. आई. आर. में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और उसे समरी कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किया गया-याचिकाकर्ता का यह आग्रह कि उसे अपराधी घोषित नहीं किया गया था और वर्ष 1977 में उस पर मुकदमा चलाया गया था, अनसुना रहा-उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करने वाली फाइल पर कोई आदेश नहीं-1 पुलिस का क्रूर व्यवहार-दो दोषी अधिकारियों को 5 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया। 50, 000 व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास राशि जमा करके-राज्य सरकार ने गलती करने वाले अधिकारियों को राशि की प्रतिपूर्ति करने पर रोक लगा दी-कुल राशि को प्रदर्शित करते हुए सबसे लापरवाही से कर्तव्यों का निर्वहन। मानवीय भावनाओं की कमी और लापरवाही से काम करने को माफ नहीं किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता पर पहले ही एफ. आई. आर. 189 दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 में समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा चुका था और उसे सजा सुनाई गई थी, जिसे वह भुगत चुका था, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपने मूल अधिकार के उल्लंघन में उसी अपराध के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था।कमल सिंह, हेड कांस्टेबल, प्रतिवादी संख्या 4 और मान सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, गनौर, प्रतिवादी संख्या 7, मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता की गारंटी से वंचित कर दिया गया है।याचिकाकर्ता को उद्घोषित अपराधी घोषित करने का कोई आदेश नहीं था।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनकी कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए।इस तरह के पुलिस अधिकारी विभाग का नाम खराब करते हैं और जनता की नजर में कानून लागू करने वाली एजेंसी

की छवि को कम करते हैं।याचिकाकर्ता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और जमानत पाने के साथ-साथ सेना के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ा।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को दी गई मानसिक यातना और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए संविधान के जनादेश का उल्लंघन करते हुए 24 दिनों के लिए हिरासत में उसकी अवैध हिरासत के लिए याचिकाकर्ता हर्जाने के रूप में क्षतिपूर्ति के योग्य है।

(पैरा 12)

ये दोनों उत्तरदाता मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगन और सावधानी से करने में विफल रहे उनमें से प्रत्येक को दो महीने के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 25,000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है, जो उसके बाद, डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आवश्यक शुल्क काटने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में तैयार किए गए आदाता के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि याचिकाकर्ता को भेज देगा। राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 7, मान सिंह और प्रतिवादी संख्या 4, कमल सिंह को मुआवजे की राशि की प्रतिपूर्ति करने से रोक दिया गया है, क्यूंकि इन दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से देने का निर्देश दिया गया है। यदि राशि का भुगतान दो महीने के भीतर नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो वह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करने वाली होगी, जो याचिकाकर्ता को अवैध रूप से हिरासत में रखने से लेकर उसकी प्राप्ति तक प्रभावी होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से *एस. के. मित्तल, अधिवक्ता*

प्रतिवादी की ओर से रितु बाहन, ए.ए.जी. *(एच), आर. के. मलिक, अधिवक्ता*

निर्णय

न्यायमूर्ति अशोक भान

1. यह याचिका इस देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी के कुछ अधिकारियों के कठोर रवैये का खुलासा करती है और जिस तरह से इन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को भारत के

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया। यह परेशान करने वाली स्थिति है कि एक व्यक्ति जिस पर समरी कोर्ट मार्शल द्वारा सैन्य वाहन को लापरवाही से चलाने के लिए मुकदमा चलाया गया था और जिसे वर्ष 1977-1978 में दंडित किया गया था, उसे सितंबर, 1994 में फिर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता की इस दलील के बावजूद कि वह एक उद्घोषित अपराधी नहीं था और पहले से ही एक समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा चुका था और उसे दंडित किया जा चुका था, उसे बिना किसी कारण के 24 दिनों की अवधि के लिए अवैध हिरासत में रखा गया।

2. वर्तमान याचिका दोहरे अनुरोध के साथ दायर की गई है, अर्थात प्रतिवादी को बिना किसी कारण के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने मूल अधिकार के घोर उल्लंघन में याचिकाकर्ता को 24 दिनों के लिए अवैध कारावास में रखने के लिए हर्जाने के रूप में मुआवजे का भुगतान करने परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी की जाए और प्रतिवादी 1 और 2 को दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने की घोर लापरवाही के लिए उन्हें उपयुक्त सजा दी जाए ।

3. याचिकाकर्ता की दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारी और अवैध हिरासत की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः■–

याचिकाकर्ता को 11 अगस्त, 1962 को वाहन चालक के रूप में भारतीय सेना में नामांकित किया गया था और वर्ष 1979 में उन्हें सेना की सेवा से मुक्त किया गया । भारतीय सेना में सेवा करते हुए और सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए, 1 अक्टूबर, 1974 को सोनीपत जिले के गनौर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक बस के साथ याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे सैन्य वाहन के साथ एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक श्रीमती बलबीर कौर का हाथ काट गया था। 01 अक्टूबर, 1974 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 189 याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279/338 के तहत पुलिस स्टेशन, गनौर में दर्ज की गई । चूंकि याचिकाकर्ता सैन्य सेवा में था और सैन्य वाहन चलाते समय दुर्घटना हुई थी, इसलिए सेना के अधिकारियों ने सेना अधिनियम, 1950 की धारा 125 और सेना नियम, 1954 के नियम 197-ए के साथ पठित उपरोक्त आपराधिक मामले को आपराधिक अदालत, सोनीपत से वापस ले लिया ताकि सेना कर्मियों पर लागू कानून के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ विचारण किया जा सके। उपरोक्त मामले की पुलिस फाइल 17 मार्च, 1976 को सेना के अधिकारियों को भेजी गई थी-प्रेषण संख्या 401/जेडडी/59393 के माध्यम से। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोनीपत, दिनांक 24 मार्च, 1976 के आदेश के तहत मामले की न्यायिक

फाइल भी सेना के अधिकारियों को भेजी गई थी। इस तथ्य का उल्लेख एफ. आई. आर., पुलिस स्टेशन, गनौर के सूचकांक में मिलता है जो पुलिस थाना, गनौर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दी गई रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसकी प्रति संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की गई है।

4. याचिकाकर्ता पर सेना के अधिकारियों द्वारा समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और उसे सैन्य हिरासत में दो महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो याचिकाकर्ता ने सेना में सेवा करते हुए झेली थी। वर्ष 1979 में सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज में चालक के रूप में शामिल हुए।

5. 16 सितंबर, 1994 को पुलिस स्टेशन गनौर के हेड कांस्टेबल कमल सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को मोहिंदरगढ़ बस स्टैंड पर इस आधार पर गिरफ्तार किया कि याचिकाकर्ता को एफ. आई. आर. संख्या 189 दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 में अपराधी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता की इस बात को उनसुना किया गया कि वह उक्त अपराध करने के लिए पहले ही कारावास से गुजर चुका है और कुछ गलती होने के कारण, कमल सिंह को उसे गिरफ्तार करने से पहले रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए ।याचिकाकर्ता का इस अनुरोध है को भी अनसुना किया की उसे आदेश दिखाया जाए जिसके द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता को हथकड़ी लगाकर हेड कांस्टेबल कमल सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तुरंत सोनीपत ले जाया गया और उनकी गिरफ्तारी के बारे में उनके परिवार के सदस्यों को सूचित करने की भी अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता को उसी दिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, थाना गनौर के सामने पेश किया गया था। उन्होंने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन गनौर से रिकॉर्ड की जांच करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें कभी भी उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया था। स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन गनौर द्वारा उनके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को तब प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ उसने फिर से अनुरोध किया कि कुछ गलती हुई थी क्योंकि उसे कभी भी उद्घोषित अपराधी नहीं घोषित किया गया था। उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट से इस संबंध में न्यायिक फाइल की जांच करने का अनुरोध किया। न्यायिक फाइल से पुष्टि किए बिना, याचिकाकर्ता को इलाखा मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया । याचिकाकर्ता को 24 सितंबर, 1994 को फिर से इलाखा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।रिमांड दस्तावेजों में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता उद्घोषित अपराधी था।स्वयं को संतुष्ट किए बिना कि क्या उद्घोषित अपराधी का ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था, याचिकाकर्ता को फिर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।गिरफ्तारी

की जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य तुरंत सोनीपत पहुंचे, जहां उन्हें सभी तथ्यों के बारे में पता चला। अधिवक्ता आदि की फीस को पूरा करने के लिए खर्च की व्यवस्था करने के बाद, याचिकाकर्ता के रिश्तेदार फिर से सोनीपत आए और 26 सितंबर, 1994 को जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया।जमानत याचिका में भी याचिकाकर्ता द्वारा की गई याचिका में कहा गया था कि वह उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और उसे कभी भी उद्घोषित अपराधी नहीं घोषित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता का मामला सेना के अधिकारियों को भेजा गया था जहां उन्हें दंडित किया गया था। इलाका मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड रूम से न्यायिक फाइल बुलाए बिना और खुद को इस बात से संतुष्ट किए बिना कि याचिकाकर्ता को वास्तव में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था या नहीं, याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत के लिए दूसरा आवेदन 1 अक्टूबर, 1994 को दायर किया गया था।याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मूल फाइल भेजी। यह वापस बताया गया था कि वर्तमान मामले से संबंधित रिकॉर्ड रूम में ऐसी कोई फाइल उपलब्ध नहीं थी। यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए, वह परिवार में एकमात्र पुरुष व्यक्ति है होने और वह सेना *के* अधिकारियों से आदेश ला सकता है, जिसके अनुसार उसे उपरोक्त मामले में दंडित किया गया था।इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और 8 अक्टूबर, 1994 को याचिकाकर्ता को एक महीने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया। 20, 000। याचिकाकर्ता को 8 नवंबर को आत्मसमर्पण करना था कि यदि वह सेना के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को पेश करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत याचिका खारिज हो जाएगी और वह खुद को न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत करेगा।

6. अपनी रिहाई के बाद, याचिकाकर्ता तुरंत हैदराबाद गया और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया कि उपरोक्त उल्लेखनीय आपराधिक मामले को आपराधिक अदालत, सोनीपत से वापस ले लिया गया था और याचिकाकर्ता पर सेना के अधिकारियों द्वारा समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया था और उसे उस मामले में सजा दी गई थी जिससे वह गुजरा था।कागजात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनीपत के समक्ष पेश किए गए।इसके बाद, 8 नवंबर, 1994 को सोनीपत के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त कर दिया कि याचिकाकर्ता पर उपरोक्त उल्लेख में सेना के अधिकारियों द्वारा पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दंडित किया जा चुका है और कहा कि याचिकाकर्ता

पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और इसलिए उसे उपरोक्त एफ. आई. आर. में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

7. यह मामला 20 दिसंबर, 1994 को सुनवाई के लिए आया था। प्रतिवादी 1 से 4 को प्रस्ताव की सूचना केवल यह कारण दिखाने के लिए जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता को उसकी अवैध हिरासत के लिए उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए। और हरियाणा राज्य को पुलिस अधीक्षक, सोनीपत और स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया, जो प्रासंगिक समय पर उन पदों पर थे ताकि उन्हें याचिकाकर्ता की गैरकानूनी हिरासत के मामले में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके। इलाका मजिस्ट्रेट, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, को नोटिस जारी नहीं किया गया था।अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक, सोनीपत के पदों पर थे, और स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, गनौर, जिला सोनीपत को प्रतिवादी 6 और 7 के रूप में जोड़ा गया है।
8. पार्टियों के वकील को सुना गया है।
9. संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और जिसे दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
10. इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता पर पहले ही 1 अक्टूबर, 1974 को समरी कोर्ट मार्शल द्वारा एफ. आई. आर. 189 में मुकदमा चलाया जा चुका था और उसे सजा सुनाई जा चुकी थी, जिसे वह भुगत चुका था,फिर भी उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और उसके अनुचेद 21 भारत के संविधान के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया । कमल सिंह, हेड कांस्टेबल, प्रतिवादी संख्या 4 और मान सिंह, स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन, गनौर, प्रतिवादी संख्या 7, मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को उद्घोषित अपराधी घोषित करने का कोई आदेश नहीं था।यदि इन दोनों प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर ध्यान दिया होता और पुलिस स्टेशन के एफ. आई. आर. सूचकांक की जांच की होती, तो उन्होंने पाया होता कि याचिकाकर्ता पर पहले ही एफ. आई. आर. 189 दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 में समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा चुका था।पुलिस स्टेशन के एफ. आई. आर. सूचकांक में दर्ज

है कि एफ. आई. आर. 189 दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 में मामले की न्यायिक फाइल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनीपत द्वारा 24 मार्च, 1976 को पारित आदेशों के तहत सेना के अधिकारियों को भेजी गई है।इन दोनों प्रतिवादी द्वारा की गई यह दलील कि याचिकाकर्ता ने उनके समक्ष यह दलील नहीं दी कि उस पर पहले ही एफ. आई. आर. 189 दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 में मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दंडित किया जा चुका है, स्वीकार्य नहीं है।इन दोनों प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए हलफनामे परस्पर विरोधी हैं।हेड कांस्टेबल कमल सिंह ने कहा है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को मान सिंह, स्टेशन हाउस अधिकारी, के सामने पेश किया। ।उसी दिन पुलिस स्टेशन, गनौर, जबकि मान सिंह ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को उसके सामने कभी पेश नहीं किया गया था। उसने यह कहते हुए एक बहाना बनाया है कि वह वास्तव में, उक्त तिथि पर स्टेशन से बाहर था ।इन परिस्थितियों में इन दोनों प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उनकी कार्रवाई निंदनीय है। इस तरह के पुलिस अधिकारी विभाग का नाम खराब करते हैं और जनता की नजर में कानून लागू करने वाली एजेंसी की छवि को कम करते हैं। याचिकाकर्ता को बहुत असुविधा और उत्पीड़न का सामना का सामना करना पड़ा और जमानत पाने के साथ-साथ सेना के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है।

11. याचिकाकर्ता और उसके परिवार के 5 सदस्यों को दिए गए कारणात्मक कथन के लिए और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए संविधान के जनादेश का उल्लंघन करते हुए 24 दिनों के लिए हिरासत में उसकी अवैध हिरासत के लिए, याचिकाकर्ता हर्जाने के रूप में मुआवजे का हकदार है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य और एक अन्य ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 1086, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था की अवैध हिरासत के लिए, याचिकाकर्ता हर्जाने के रूप में मुआवजे का हकदार है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था और किसी व्यक्ति को कानून के किसी भी अधिकार के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, तो ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह के गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम करने वाले अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए और यह याद दिलाते हुए कि अगर इस देश में सभ्यता का नाश नहीं होना है, तो यह स्वीकार करने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान लोकतंत्र का सच्चा गढ़ है। माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि :-

"अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यदि इस परिषद की शक्ति अवैध हिरासत से रिहाई के आदेश पारित करने तक सीमित थी, तो इसकी

महत्वपूर्ण सामग्री से वंचित कर दिया जाएगा। जिन तरीकों से उस अधिकार के उल्लंघन को उचित रूप से रोका जा सकता है और अनुच्छेद 21 के जनादेश का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है, उनमें से एक yha है कि मौद्रिक मुआवजे के भुगतान में इसके उल्लंघनकर्ताओं को शामिल करना। मूल अधिकार के घोर उल्लंघन की ओर ले जाने वाले प्रशासनिक स्क्लेरोसिस को न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अन्य तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है।मुआवजे का अधिकार उन उपकरणों के गैरकानूनी कार्यों के लिए कुछ उपशामक है जो सार्वजनिक हित के नाम पर कार्य करते हैं और जो अपने संरक्षण के लिए राज्य की शक्तियों को ढाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं।यदि इस देश में सभ्यता को नष्ट नहीं होना है, जैसा कि कुछ अन्य लोगों में नष्ट हो गया है, तो यह स्वीकार करने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान लोकतंत्र का सच्चा गढ़ है। इसलिए, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों को हुए नुकसान की मरम्मत करनी चाहिए। यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का विकल्प हो सकता है।"

12. पुनः, श्रीमती नीलाबती बेहरा उपनाम ललिता बेहरा (उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति के माध्यम से) बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य जेटी 1993 (2) एससी 503।, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः–

"यह न्यायालय और उच्च न्यायालय, नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते, केवल शक्ति और अधिकर नहीं रखते हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 220 के तहत अपनी द्विपक्षीय अधिकार का प्रयोग करके विचाराधिकार के अधीन जाने का एक दायित्व भी बनाते हैं, जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का प्रतिष्ठापित रूप से उल्लंघन किया जाने का प्रमाण हो, और नागरिक के अधिकारों के मौलिक अधिकारों पर उसके अधिकारों का उल्लंघन करने वाले राज्य से नागरिक के अधिकारों को मरम्मत करने के लिए कहकर हुआ विकारी या विकारी के उत्तराधिकारी को अनुतोष प्रदान करने का भी कर्तव्य है, यद्यपि नागरिक के अधिकारों का उपयोग एक नागरिक मामले या आपराधिक प्रक्रिया के रास्ते से उपचार का अधिकार हो।"

13. श्री आर एस यादव, आई.पी.एस., जो संबंधित समय पर सोनीपत के पुलिस अधीक्षक थे, ने अपने हलफनामे में कहा है कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था और इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है। फाइल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि आर. एस. यादव ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही की थी।

14. उत्तरदाताओं के लिए 4 और 7 की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी से काम किया और उनकी ओर से कोई द्वेष नहीं होने के कारण, उनके साथ नरमी से निपटा जाना चाहिए। प्रतिवादी 4 और 7 ने मानवीय भावनाओं की पूर्ण कमी प्रदर्शित करते हुए अत्यंत लापरवाही से काम किया और जैसे कि राज्य या उसके अधिकारियों के लापरवाही से काम करने को माफ नहीं किया जा सकता है।मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सत्ता के बढ़ते दुरुपयोग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना, हल्के-फुल्के तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता अपनी अवैध हिरासत के लिए हर्जाने के रूप में मुआवजे का हकदार है।
15. हम प्रतिवादी संख्या 5 के आचरण के संबंध में कुछ भी देखने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि रिट याचिका में उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
16. हालांकि, याचिकाकर्ता ने हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है, हम उसे दिए जाने वाले मुआवजे को 50,000 रुपये निर्धारित करते हैं। मान सिंह, तत्कालीन स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन, गनौर, प्रतिवादी संख्या 7 और कमल सिंह, हेड कांस्टेबल, प्रतिवादी संख्या 4, मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।इन दोनों प्रतिवादी पर व्यक्तिगत दायित्व तय किया जा रहा है क्योंकि हमने पाया है कि ये दोनों उत्तरदाता मुख्य रूप से याचिकाकर्ता की अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगन और सावधानी से करने में विफल रहे उनमें से प्रत्येक को दो महीने के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 25,000 रुपये की राशि जमा करने कानिर्देश दिया जाता है, जो उसके बाद, डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आवश्यक शुल्क काटने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में तैयार किए गए आदाता के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि याचिकाकर्ता को भेज देगा। राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 7, मान सिंह और प्रतिवादी संख्या 4, कमल सिंह को मुआवजे की राशि की प्रतिपूर्ति करने से रोक दिया गया है, क्यूंकि इन दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से देने का निर्देश दिया गया है। यदि राशि का भुगतान दो महीने के भीतर नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो वह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करने वाली होगी, जो याचिकाकर्ता को अवैध रूप से हिरासत में रखने से लेकर उसकी प्राप्ति तक प्रभावी होगी।
17. इस रिट याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना निष्फल हो गई है क्योंकि अपचारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।
18. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा